

अध्याय - १३

संशोधित छात्रसंघ नियमावली सत्र २०१३-१४

शासनादेश संख्या-2311/सत्तर-1-15 (12)(11) 94 दिनांक 21 जनवरी, 2000, जो कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01.07.2000 में स्वीकृत किया गया है तथा शासन के आदेश संख्या 2270/सत्तर-1-2003 दिनांक 1 सितम्बर, 2003 एवं संख्या 2349/सत्तर-1-2003-15 (12) (1)/1994 दिनांक 8 सितम्बर, 2003 तथा शासनादेश संख्या- सी0एम0-08/सत्तर-1-2012 उच्च शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार संशोधित तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26 अगस्त 2013 द्वारा अंगीकृत छात्रसंघ नियमावली अध्यादेश 1996 (अध्याय-13) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है। यह नियमावली सत्र 2013-14 से प्रभावी होगी। विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रसंघों के चुनाव इसी नियमावली से नियंत्रित होंगे।

1. **नाम-** संस्था का नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ/महाविद्यालय (महाविद्यालय का नाम)छात्रसंघ होगा।
2. **उद्देश्य :-**
 - 2.1- संघ के सदस्यों की बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना।
 - 2.2- संघ के सदस्यों के जनतान्त्रिक चरित्र के लिए प्रयत्न करना।
 - 2.3- संघ के सदस्यों की सर्जनात्मक शक्ति के विकास के लिए प्रयत्न करना।
3. **सदस्यता :-**
 - 3.1- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ/महाविद्यालय के सभी नियमित छात्र (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र/छात्राओं को छोड़कर) सम्बन्धित छात्रसंघ के सदस्य होंगे। सम्बन्धित छात्रसंघ की सदस्यता विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संस्थागत विद्यार्थियों (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र/छात्राओं को छोड़कर) के लिए अनिवार्य होगी।

3.2— जो छात्र किसी न्यायालय द्वारा नैतिक दुराचार के जुर्म के लिए दोषी ठहराये गये हों या विश्वविद्यालय से दुराचार के कारण निलम्बित/निष्कासित किये गये हों वे छात्रसंघ के पदाधिकारियों के चुनाव में भाग लेने से वंचित होंगे।

4. पदाधिकारी :-

4.1— (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) महामंत्री (4) पुस्तकालय मंत्री।

4.2— छात्रसंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री, संकाय एवं छात्रावास होने की स्थिति में संकाय प्रतिनिधि एवं छात्रावास प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। उपर्युक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल सत्रांत अथवा अगले निर्वाचन के नामांकन की तिथि के पूर्व जो पहले हो, समाप्त हो जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रत्येक सत्र में एक ही बार निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा।

4.3— छात्रसंघ का कोई पदाधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी हो एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उसे निलम्बित किया गया हो, वह अपने समस्त अधिकारों से इस दौरान वंचित रहेगा तथा इस स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार कुलपति/प्राचार्य को रहेगा।

4.4— चुनाव सम्पन्न होने के दो माह के भीतर किसी मुख्य पदाधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में पुनः चुनाव कराया जाना चाहिए अन्यथा यथास्थिति के अनुसार उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद पर तथा पुस्तकालय मंत्री को महामंत्री पद पर प्रोन्नत किया जा सकता है।

4.अ. प्रत्याशियों के लिए अर्हताएँ :-

4.अ.1. स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा 17 से 22 वर्ष अथवा स्नातक खण्ड-I में प्रवेश से 3 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी। व्यावसायिक परिसरों/महाविद्यालयों में जहाँ पाठ्यक्रम की अवधि प्रायः 4 से 5 वर्ष की होगी, यह आयु सीमा 17 से 24 वर्ष अथवा स्नातक खण्ड-I में प्रवेश से 4/5 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी।

4.अ.2. स्नातकोत्तर स्तर एवं अन्य पाठ्यक्रम, जिनमें स्नातक उपाधि ही प्रदान की जाती है, किन्तु जिनमें प्रवेश की अर्हता स्नातक ही होती है— यथा एल0एल0बी0, बी0एड0, बी0पी0एड0 इत्यादि के नियमित छात्र-छात्राओं (स्ववित्तपोषित एवं एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा अधिकतम 24 से 25 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम खण्ड में प्रवेश से 2 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी।

- 4.अ.3. शोध छात्रों के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष अथवा शोध में पंजीकरण से 2 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी।
- 4.अ.4. छात्रों/छात्राओं के लिए चुनाव लड़ने के आयु सीमा की गणना नामांकन तिथि से की जायेगी।
- 4.अ.5. चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कोई न्यूनतम प्राप्तांक आवश्यक नहीं होगा। किन्तु किसी भी दशा में चुनाव वर्ष में अनुत्तीर्णता अथवा शैक्षिक बकाये की स्थिति नहीं होनी चाहिए अन्यथा छात्र चुनाव में भाग लेने के लिए अर्ह नहीं होगा।
- 4.अ.6. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत उपस्थिति, दोनों में से जो अधिक हो, पूरा करने वाला छात्र ही चुनाव लड़ सकता है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी (यथा स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक/महाविद्यालय-प्राचार्य) का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4.अ.7. किसी भी छात्र/छात्रा को संघ के पदाधिकारी पद पर चुनाव लड़ने के लिए केवल एक अवसर तथा कार्यकारिणी की सदस्यता के लिए अधिकतम दो अवसर प्राप्त होंगे।
- 4.अ.8. कोई भी सदस्य एक चुनाव में एक ही पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है।
- 4.अ.9. किसी भी उम्मीदवार की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। अर्थात् पूर्व में उसपर कोई मुकदमा नहीं चला हो अथवा वर्तमान में आपराधिक मुकदमा लम्बित न हो और/अथवा वह किसी आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित नहीं हुआ हो, अथवा उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई हो। इनमें से किसी भी स्थिति में वह चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नहीं होगा।
- 4.अ.10. उम्मीदवार के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र होना अनिवार्य होगा। दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा इसके समतुल्य कोई पाठ्यक्रम यथा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम, एवं एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते। अर्थात् सभी अर्ह उम्मीदवारों के लिए पूर्णकालिक नियमित एवं कम से कम एक वर्ष के पाठ्यक्रम में नामांकित होना अनिवार्य होगा।

4.अ.11. कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र नहीं है, किसी भी रूप में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध मामले के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

4.अ.12. उम्मीदवार के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

4.ब. छात्र-संघ चुनाव एवं छात्र प्रतिनिधि की राजनीतिक दलों से असम्बद्धता (Disassociation of Students' Union Election and Students' Representation from Political Parties) :

4.ब.1. छात्र-संघ चुनाव में उम्मीदवारों के लिए किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्धता पूर्णतः वर्जित होगी। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए इस आशय का घोषणा पत्र कि उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है, अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4.ब.2. चुनाव की सम्पूर्ण अवधि में कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की छात्र नामांकन पंजिका (Students' Admission Register) में अंकित नहीं है, किसी भी रूप में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। इस नियम का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, उम्मीदवार/छात्र-संगठन का सदस्य अपनी उम्मीदवारी के प्रतिसंहरण/रद्द होने के साथ-साथ मामले के अनुरूप अपने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

4.स. चुनाव प्रक्रिया की आवृत्ति एवं अवधि (Frequency and Duration of Election Process) :

4.स.1. छात्र-संघ चुनाव वार्षिक होंगे तथा यथासम्भव सत्रारम्भ से 6-8 सप्ताह के भीतर सम्पादित किये जाएंगे। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चुनाव सम्पन्न न कराया जा सके तो उस सत्र में संघ निलम्बित माना जाएगा।

4.स.2. सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया नामांकन की तिथि से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक (उम्मीदवारों के प्रचार/मतदाता सम्पर्क की अवधि सहित) 10 दिनों की होगी। किन्तु चुनाव की अधिसूचना और मतदाता सूची 10 दिनों के इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से 3 दिन पूर्व जारी कर दी जाएगी और अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही चुनाव आचार-संहिता लागू मानी जायगी।

4.स.3. 10 दिनों का चुनाव कार्यक्रम निम्न प्रकार से होगा :-

दिन	कार्य	समय
प्रथम दिन	विहित प्रपत्र में नामांकन	पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक

द्वितीय दिन	नामांकन पत्रों/संलग्न दस्तावेजों की जाँच	
तृतीय दिन	(i) नामांकन वापसी	पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक
	(ii) शेष उम्मीदवारों की पदवार सूची का प्रकाशन	अपराह्न 4:00 बजे के बाद
दशवें दिन	(i) मतदान	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक
	(ii) मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	अपराह्न 4:00 बजे के बाद

5. **संरक्षक** :- कुलपति समस्त छात्रसंघों (विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय) के स्थायी संरक्षक होंगे।

5.अ. **सहसंरक्षक** :- विश्वविद्यालय के स्तर पर संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण एवं महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य सहसंरक्षक होंगे।

6. **संरक्षक/सहसंरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य** :-

6.1- विश्वविद्यालय स्तर पर संरक्षक तथा महाविद्यालय स्तर पर सहसंरक्षक, वित्त-नियन्त्रक, चुनाव- अधिकारी तथा आय-व्यय-निरीक्षक की नियुक्ति करेंगे।

6.2- संरक्षक/प्राचार्य आवश्यकता होने पर सामान्य सभा की बैठक बुला सकते हैं।

6.3- सामूहिक रूप से कार्यसमिति पर अविश्वास का प्रस्ताव होने पर संरक्षक/प्राचार्य स्वयं सामान्य सभा की अध्यक्षता करेंगे अथवा उक्त कार्य के लिए किसी अध्यापक की नियुक्ति करेंगे।

6.4- संरक्षक विधान की व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लेंगे।

6.5- वैधानिक रूप से कार्यसमिति द्वारा संघ-कोष से व्यय करने की असमर्थता की स्थिति में संरक्षक/प्राचार्य को उक्त कोष से आवश्यक व्यय करने का अधिकार होगा।

6.6- संरक्षक को चुनावयाचिका-सम्बन्धी विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा।

6.7- संरक्षक/प्राचार्य सामान्य सभा द्वारा प्रेषित विषयों पर अंतिम निर्णय लेंगे।

6.8- कुलपति स्वविवेक से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर छात्रसंघ के कार्यों की जाँच करा सकते हैं। यदि जाँच के पश्चात् कुलपति को यह समाधान हो जाता है कि छात्रसंघ अनियमित गतिविधियों में लिप्त है तो कुलपति को संघ को भंग करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि तत्सम्बन्धी आदेश कारणसहित लिखित रूप में पारित किया जाय।

7. सामान्य सभा :-

छात्रसंघ की सामान्य सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1— छात्रसंघ के समस्त पदाधिकारी ।

2— प्रत्येक छात्रावास तथा प्रत्येक संकाय से एक-एक प्रतिनिधि, जो प्रत्यक्ष चुनकर आयेंगे।

इसके अतिरिक्त पाँच छात्राओं, पाँच अनुसूचित/जनजाति के छात्रों/छात्राओं, पाँच मेधावी छात्रों तथा एक खेल-कूद की गतिविधियों से जुड़े छात्र/छात्रा का नामांकन कुलपति/प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

8. सामान्य सभा की बैठक :-

8.1— सामान्य सभा की बैठक साधारणतया अध्यक्ष की अनुमति से महामंत्री बुलायेंगे परन्तु सामान्य सभा की बैठक प्रत्येक सत्र में एक बार अनिवार्यतः आहूत की जायेगी।

8.2— विशेष परिस्थिति में सामान्य सभा के पाँच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर महामंत्री को सामान्य सभा की बैठक बुलानी होगी।

8.3— सामान्य सभा की बैठक में गणपूरक संख्या पूरे सदस्यों की 1/3 होगी। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या आवश्यक न होगी।

8.4— सामान्य सभा की बैठक एक सप्ताह और विशेष बैठक 48 घण्टे की अग्रिम सूचना पर बुलाई जायेगी। सामान्य सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी। दोनों की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम छात्रसदस्य द्वारा अध्यक्षता की जा सकेगी।

9. सामान्य सभा के अधिकार तथा कर्तव्य :-

9.1— सामान्य सभा कार्यसमिति के कार्य का लेखा-जोखा लेगी।

9.2— कार्यसमिति द्वारा पारित बजट को सामान्य सभा अनुमोदित करेगी।

9.3— कार्यसमिति के सदस्यों पर सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार होगा।

9.4— छात्रसंघ के सामान्य सभा द्वारा कोई विधान-संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई के बहुमत से पारित किया जा सकता है। तदुपरान्त यह प्रस्ताव स्वीकृत हेतु कार्यपरिषद् को प्रेषित किया जायेगा।

9.5- छात्रसंघ के विधान-संशोधन का अधिकार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कार्यपरिषद् के पास सुरक्षित होगा। कार्यपरिषद् स्वयमेव विधानसंशोधन के लिए सक्षम होगी।

9.6- अविश्वास प्रस्ताव- कार्यसमिति तथा संघ के निर्वाचित पदाधिकारी के विरुद्ध उपस्थित किया जा सकता है, किन्तु निम्नलिखित में से कोई कारण होना अनिवार्य है-

- (1) दुराचार
- (2) संघ के कोष का दुरुपयोग
- (3) संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल व्यवहार
- (4) विधान का उल्लंघन

9.7- अविश्वास प्रस्ताव की प्रणाली :-

(क) कम से कम 500 सदस्यों के लिखित आवेदन पर कार्यसमिति या संघ के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सामान्य सभा में लाया जा सकता है।

(ख) इसकी सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री तथा संबन्धित पदाधिकारियों एवं सभा के समस्त सदस्यों को देना अनिवार्य होगा।

(ग) कार्यसमिति/अध्यक्ष पर अविश्वास का प्रस्ताव होने पर संरक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति इस सामान्य सभा की अध्यक्षता करेगा।

(घ) संघ के सामान्य सभा के सदस्यों की पूर्ण संख्या का 1/3 गणपूर्ति संख्या होगी तथा गणपूर्ति होने पर ही बैठक प्रारम्भ हो सकेगी। उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के न्यूनतम दो तिहाई के बहुमत का निर्णय होने पर ही प्रस्ताव पारित हो सकेगा। यह गुप्त मतदान द्वारा होगा।

(ङ) प्रस्ताव पारित हो जाने पर कार्यसमिति अथवा प्रश्नगत पदाधिकारी जिसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ हो, वह स्वतः भंग अथवा पदच्युत माने जायेंगे। इस स्थिति में कुलपति/प्राचार्य को वैकल्पिक व्यवस्था करने का पूरा अधिकार होगा।

10. कार्यसमिति :-

छात्रसंघ के लिए प्रत्यक्ष चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री, छात्रावासों के प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि के अतिरिक्त समस्त संकायों के प्रतिनिधियों में से कोई दो प्रतिनिधि कार्यसमिति के सदस्य होंगे। जिनकी अधिकतम संख्या 11 होगी। इसमें खेलकूद, छात्राओं, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मेधावी छात्रों के वर्ग से न्यूनतम एक-एक

प्रतिनिधि का चुनाव होना अनिवार्य होगा। पदाधिकारियों के अतिरिक्त कार्यसमिति के अन्य सदस्यों का चुनाव अपने-अपने संवर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा ही होगा।

11. कार्यसमिति की बैठक :-

- 11.1— कार्यसमिति की बैठक साधारणतया अध्यक्ष की अनुमति से महामंत्री बुलायेंगे। प्रत्येक सत्र में कार्यसमिति की कम से कम दो बैठकें अनिवार्यतः आहूत की जायेगी।
- 11.2— कार्यसमिति के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष को बैठक बुलानी होगी। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे।
- 11.3— साधारण बैठक 48 घण्टे तथा विशेष बैठक 24 घण्टे की अग्रिम सूचना पर बुलाई जायेगी।
- 11.4— गणपूरक संख्या कुल सदस्यों की 1/3 होगी। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

12. कार्यसमिति के अधिकार तथा कर्तव्य :-

- 12.1— कार्यसमिति संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेगी।
- 12.2— कार्यसमिति सामान्य सभा द्वारा निर्देशित सभी कार्य करेगी।
- 12.3— कार्यसमिति के सदस्य का सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से सामान्य सभा के प्रति उत्तरदायी होंगी।
- 12.4— महामंत्री, छात्रसंघ का बजट कार्यसमिति में प्रस्तुत करेंगे। बजट स्वीकृति की सूचना महामंत्री संरक्षक/प्राचार्य तथा सामान्य सभा को देंगे।

13. पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य :-

क— अध्यक्ष :-

- 1— अध्यक्ष सामान्य सभा तथा कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- 2— अध्यक्ष धारा 11 में दिये गये प्रावधान के अनुसार कार्यसमिति की बैठक बुलायेंगे।
- 3— बैठक की कार्यवाही से सम्बन्धित विषयों पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- 4— अध्यक्ष को बैठकों में केवल निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- 5— अध्यक्ष, महामंत्री की अनुपस्थिति में कार्यसमिति की अनुमति से कार्यसमिति के किसी सदस्य को महामंत्री का कार्य सौंपेंगे।
- 6— अध्यक्ष सामान्य सभा या कार्यसमिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को भी करेंगे।

ख— उपाध्यक्ष :- उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संरक्षक की पूर्वानुमति से अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे।

ग- महामंत्री :-

- 1- महामंत्री विधानान्तर्गत दिये गये विषयों के अनुसार सामान्य सभा तथा कार्यसमिति की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से अथवा निर्धारित संख्या में सदस्यों के अनुरोध पर बुलायेंगे।
- 2- महामंत्री कार्यसमिति के सदस्यों के सलाह पर संघ के बजट को तैयार करके सामान्य सभा तथा कार्यसमिति की बैठक में उपस्थित करेंगे।
- 3- महामंत्री छात्रसंघ के आय-व्यय का ब्यौरा लेकर कार्यसमिति की अनुमति से वित्त नियन्त्रक के पास अनुमति के लिए भेजेंगे।
- 4- महामंत्री को कार्यसमिति की पूर्व स्वीकृति के बिना भी अध्यक्ष की स्वीकृति से कुल रू0-500/- तक खर्च करने का अधिकार होगा। परन्तु कार्यसमिति की अगली बैठक में इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी।
- 5- महामंत्री कार्यसमिति तथा सामान्य सभा की बैठक का विवरण तैयार करके अगली बैठक में उपस्थित करेंगे।
- 6- महामंत्री संघ के आय-व्यय का अंकेक्षित मासिक विवरण अध्यक्ष के माध्यम से वित्त नियन्त्रक की स्वीकृति पर संरक्षक/प्राचार्य के कार्यालय में उपस्थित करेंगे।
- 7- महामंत्री सामान्य सभा तथा कार्यसमिति के प्रति उत्तरदायी होंगे।

घ- पुस्तकालय मंत्री :-

- 1- राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययनार्थ विचार गोष्ठियों का आयोजन करेंगे।
- 2- व्याख्यानमाला, वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा कहानी-निबन्ध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे।
- 3- पुस्तकालय मंत्री संरक्षक/प्राचार्य की अनुमति से अधिष्ठाता छात्र कल्याण के निर्देशन एवं नियंत्रण में छात्रसंघ पत्रिका प्रकाशन की व्यवस्था करेंगे।
- 4- पुस्तकालय मंत्री द्वारा विद्वानों के भाषण का प्रबन्ध किया जायेगा।
- 5- पुस्तकालय मंत्री छात्रसंघ के लिए निर्धारित कोष से बचत करते हुए संघ के पुस्तकालय की स्थापना करने तथा विकास करने का प्रयास करेंगे।

टिप्पणी :-

- उपरोक्त धारा-13(घ) का पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन अध्यक्ष के माध्यम से संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण/प्राचार्य के निर्देशन एवं नियंत्रण में सम्पन्न करेगा।
- कार्यसमिति का प्रत्येक सदस्य कार्यसमिति तथा सामान्य सभा के प्रति उत्तरदायी होगा।

- महामंत्री तथा पुस्तकालय मंत्री अपने-अपने विभाग के आय-व्यय का प्रारूप कार्यसमिति के समक्ष उपस्थित करेंगे।
- विभिन्न मदों में व्यय करने के लिए पदाधिकारियों को कार्यसमिति की स्वीकृति लेनी होगी तथा व्यय के उपरान्त समायोजन हेतु अंकेक्षित बाउचर तथा व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा।

14. वित्तनियंत्रक :-

- 14.1- प्रतिवर्ष चुनाव के पश्चात् संरक्षक/प्राचार्य नियमित अध्यापकों में से किसी को वित्त-नियंत्रक नियुक्त करेंगे। इनका कार्यकाल अगले वित्त-नियंत्रक की नियुक्ति तक रहेगा।
- 14.2- वित्त-नियंत्रक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा महामंत्री या अन्य पदाधिकारियों द्वारा किये गये वैधानिक व्यय के पुर्जों पर हस्ताक्षर करेंगे।
- 14.3- वित्त-नियंत्रक की संस्तुति एवं संरक्षक/प्राचार्य की स्वीकृति के बिना संघ के किसी व्यय का भुगतान नहीं होगा। एक बार स्वीकृत अग्रिम का समायोजन कराये बिना दूसरा अग्रिम देय नहीं होगा।
- 14.4- संघ के आय-व्यय की जाँच करेगा।
- 14.5- वित्त-नियंत्रक संरक्षक/प्राचार्य के प्रति उत्तरदायी होंगे। कुलपति जाँच के पश्चात् वित्त-नियंत्रक को पदच्युत कर सकते हैं।

14.अ. चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं लेखादेयता (Election Related Expenditure and Financial Accountability) :

- 14.अ.1. छात्र-संघ चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम व्यय सीमा रू.5,000/- अनुमन्य होगी।
- 14.अ.2. चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के अन्दर प्रत्येक उम्मीदवार को अपना पूर्ण एवं अभिप्रमाणित व्यय-विवरण (प्रत्याशी स्वयं अपना व्यय-विवरण अभिप्रमाणित कर सकता है) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। व्यय-विवरण प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अधिकारी अंकेक्षित व्यय-विवरण उचित माध्यम से प्रकाशित करेंगे ताकि छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उसका अवलोकन/परीक्षण कर सके।

14.अ.3. व्यय-विवरण प्रस्तुत करने सम्बन्धी उपर्युक्त निर्देश/व्यवस्था का अनुपालन न किये जाने अथवा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित उम्मीदवार का निर्वाचन निरस्त कर दिया जायेगा।

14.अ.4. छात्र-संघ चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल/संगठन से प्राप्त कोष का उपयोग विशेष रूप से प्रतिबन्धित होगा। केवल छात्र निकायों/संगठनों से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान का उपयोग ही स्वीकार्य/अनुमन्य होगा।

15. अर्थ-व्यवस्था :-

15.1- आय के साधन- विद्यापीठ/सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित छात्र (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा एक वर्ष से कम अवधि के पाठ्यक्रमों को छोड़कर) को प्रवेश के समय 100 रूपये वार्षिक शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा (छात्रसंघ 40रू0, सांस्कृतिक गोष्ठी 20रू0 पत्रिका 40रू0)।

15.2- विद्यापीठ/सम्बन्धित महाविद्यालय तथा अन्यत्र से प्राप्त धन सम्बन्धित छात्रसंघ के कोष में जमा होगा। इन नियमों में वित्तसमिति की संस्तुति पर कार्यपरिषद् परिवर्तन कर सकती है।

16. बजट :-

16.1- अन्य पदाधिकारियों से ब्यौरा लेकर महामंत्री बजट तैयार करेंगे और उसको कार्यसमिति में प्रस्तुत करेंगे।

16.2- कार्यसमिति से स्वीकृत बजट की सूचना संरक्षक/प्राचार्य तथा साधारण सभा को एक सप्ताह के अन्दर महामंत्री द्वारा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य द्वारा इनमें कोई आपत्ति उठाई जायेगी तो संरक्षक/प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

17. आडिट :-

17.1- बजट में प्रावधानित मदों एवं धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जा सकेगा।

17.2- पूर्व में दिये गये अग्रिम तथा व्यय का भुगतान अंकेक्षण के उपरान्त ही समायोजित हो सकेगा।

18. आय-व्यय का हिसाब :-

18.1- बजट में प्रावधानित मदों एवं धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जा सकेगा। संघ का लेखा वित्त-नियन्त्रक के माध्यम से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वित्त

विभाग/सम्बन्धित महाविद्यालय में रहेगा। पूर्व में लिए गये अग्रिम तथा व्यय का भुगतान अंकेक्षण के उपरान्त समायोजित हो सकेगा। बिना अंकेक्षण के भुगतान नहीं होगा।

18.2— व्यय का मासिक विवरण महामंत्री वित्तनियन्त्रक के माध्यम से वित्त विभाग में प्रस्तुत करेंगे।

18.3— वित्त-नियन्त्रक इस बात का ध्यान रखेंगे के जिस मद में शुल्क लिया जाय उसी मद में व्यय हो।

19. साधारण नियम :-

19.1— छात्रसंघ को कोई भी ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं होगा जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विधान के विरुद्ध हो।

19.2— छात्रसंघ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ/सम्बन्धित महाविद्यालय के बाहर के किसी संगठन से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है।

20. चुनाव अधिकारी के कर्तव्य तथा अधिकार :-

20.1— संरक्षक/प्राचार्य प्रतिवर्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ/महाविद्यालय के नियमित अध्यापकों में से किसी को भी चुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे एवं चुनाव अधिकारी की संस्तुति पर संरक्षक/प्राचार्य द्वारा अधिकतम 5 सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। मतदान अधिकारियों की नियुक्ति चुनाव अधिकारी की संस्तुति पर संरक्षक/प्राचार्य द्वारा की जायेगी।

20.2— चुनाव अधिकारी चुनाव सम्बन्धी सूचनाएँ प्रसारित करेंगे।

20.3— चुनाव अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर निर्णय लेंगे।

20.4— चुनाव अधिकारी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे तथा चुनाव संबन्धी प्रत्येक मामले पर निर्णय देंगे।

20.5— चुनाव अधिकारी चुनाव याचिका पर निर्णय के लिए समिति नियुक्त करेंगे या स्वयं ही निर्णय देंगे।

20.6— चुनाव अधिकारी नामांकन की तिथि कम से कम 3 दिन पहले घोषित करेगा। नामांकन के दूसरे दिन दस्तावेजों की जाँच तथा तीसरे दिन नाम वापसी की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। मतदान आरम्भ होने से 30 घण्टे पूर्व प्रचार बन्द हो जायेगा। नामांकन के दशवें दिन मतदान होगा। मतदान के बाद यथाशीघ्र मतगणना करायी जायेगी। मतगणना के तत्काल पश्चात् चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किया जायेगा।

- 20.7— चुनाव संबन्धी नियमों का उल्लंघन करने पर चुनाव अधिकारी किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की संस्तुति संरक्षक से कर सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव अधिकारी किसी छात्र की उम्मीदवारी रद्द कर सकते हैं।
- 20.8— चुनाव प्रक्रिया के सम्पादन हेतु चुनाव अधिकारी, संरक्षक की स्वीकृति से निर्मित एवं स्वीकृत आचार संहिता धोषित करेंगे, उसका पालन करना सभी प्रत्याशियों एवं साधारण सदस्यों के लिए अनिवार्य होगा।
- 20.9— स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी को यथावांक्षित उपाय लागू करने का अधिकार होगा।

21. विविध :-

- 21.1— समस्त संकाय प्रतिनिधियों के निर्वाचन में उम्मीदवार होने तथा मत देने के लिए सम्बन्धित संकाय/पाठ्यक्रमों का नियमित छात्र (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर) होना अनिवार्य होगा।
- 21.2— मतदान गुप्त प्रणाली से होगा।
- 21.3— चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी घोषित किया जायेगा।
- 21.4— एक ही पद के उम्मीदवारों को बराबर मत मिलने पर उस पद के लिए लाटरी पद्धति से निर्णय कराया जायेगा।
- 21.5— मतपत्रों पर सिलसिलेवार संख्या होंगी, जिसका ब्यौरा विभिन्न मतदान केन्द्रों पर चुनाव अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि को चुनाव प्रारम्भ होने के पश्चात् तुरन्त देंगे।
- 21.6— मतदान के पश्चात् मतपेटिका पर चुनाव अधिकारी अपनी मुहर उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष लगा देंगे। उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को भी मतपेटिका पर अपनी मुहर लगाने/हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
- 21.7— मतपेटिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव अधिकारी तथा मतदान अधिकारी पर होगी। मतपेटिकायें उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।
- 21.8— मतगणना के समय उम्मीदवार या उसका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा उनको आवश्यकता पड़ने पर मतपत्र भी देखने का अधिकार होगा।
- 21.9— **निर्वाचन याचिका :-** चुनाव परिणाम से असन्तुष्ट उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने के तीन सप्ताह के अन्दर अपनी याचिका शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance

Redressed Cell) के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। याचिका की जांच एवं उसपर निर्णय के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा।

21.10— इस अध्यादेश में जिन बातों का उल्लेख नहीं है तत्सम्बन्धी निर्णय संरक्षक के क्षेत्राधिकार में होगा।

22. विधि व्यवस्था (Law and Order) :

22.1— चुनाव अवधि में विश्वविद्यालय परिसर में विधि व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी कुलानुशासक की एवं महाविद्यालयों में सम्बन्धित प्राचार्य की होगी।

22.2— किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था भंग होने या आपराधिक घटना होने पर तत्सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पदाधिकारी (कुलानुशासक/प्राचार्य) शीघ्रातिशीघ्र, अधिकतम 06 घण्टे के अन्दर, स्थानीय पुलिस को प्रेषित करेंगे।

22.3— चुनाव कार्य में संलग्न शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी का दायित्व होगा जो मतदान तथा मतगणना केन्द्रों पर तथा उनके आस-पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात करेंगे ताकि कोई अप्रिय/आपराधिक घटना न हो पाये।

22.4— विधि व्यवस्था से सम्बन्धित सभी आवश्यक सूचनायें कुलानुशासक/प्राचार्य द्वारा स्थानीय पुलिस को दी जायेंगी।

23. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressed Cell) :

23.1— विश्वविद्यालय का एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होगा जो एक नियमित इकाई के रूप में कार्य करेगा। विश्वविद्यालय छात्र कल्याण अधिष्ठाता (Dean Students' Welfare) इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होंगे जो कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ शिक्षक, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं दो अन्तिम वर्ष के विद्यार्थी (एक छात्र एवं एक छात्रा) को सदस्य के रूप में नामित करेंगे। छात्र एवं छात्रा मेधा और/या पूर्व वर्ष में पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित क्रियाकलापों में भागीदारी/योगदान के आधार पर नामित किये जायेंगे और उनकी सदस्यता चुनाव परिणाम की घोषणा तक ही रहेगी। प्रकोष्ठ चुनाव आचार-संहिता के उल्लंघन एवं चुनाव सम्बन्धी व्यय के मामलों के साथ-साथ अन्य सभी शिकायतों/मामलों के निस्तारण के लिए अधिदेशित (Mandated)/अधिकृत होगा।

23.2— अपने कर्तव्यों के अनुपालन में यह प्रकोष्ठ चुनाव आचार-संहिता के किसी भी प्रावधान/उपबन्ध अथवा प्रकोष्ठ के किसी भी निर्णय/निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करेगा। प्रकोष्ठ एक मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की तरह कार्य करेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति को चुनाव सम्बन्धी किसी भी मामले/विवाद में नियमों एवं तथ्यों के आलोक/संदर्भ में प्रकोष्ठ द्वारा लिये गये अन्तिम निर्णय के विरुद्ध किये गये अपील पर सुनवाई का अधिकार होगा। कुलपति सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रकोष्ठ द्वारा दिये गये दण्ड में परिवर्तन अथवा उसे रद्द कर सकते हैं।

23.3— प्रकोष्ठ अपने कर्तव्यों के पालन में अभियोजन की कार्यवाही एवं मामले की सुनवाई की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कार्य के सम्पादन में उसे निम्नलिखित अधिकार होंगे:—

(i) प्रकोष्ठ आवश्यक सम्मन जारी कर उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है तथा छात्र-छात्राओं से उपस्थित होकर साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

(ii) प्रकोष्ठ उम्मीदवारों के चुनाव सम्बन्धी प्रतिवेदनों एवं वित्तीय लेखा-जोखा की जाँच कर सकता है तथा अभिलेखों को सार्वजनिक माँग पर अवलोकनार्थ उपलब्ध करा सकता है।

23.4— प्रकोष्ठ के अध्यक्ष या सदस्य स्वयं कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। चुनाव परिणाम की घोषणा से अधिकतम तीन सप्ताह के अन्दर कोई अन्य छात्र शिकायत दर्ज करा सकता है। सभी शिकायतें शिकायतकर्ता के नाम से दर्ज होंगी। शिकायत प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर प्रकोष्ठ अपनी कार्यवाही शुरू कर देगा। या तो शिकायत खारिज की जाएगी या उसपर सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

23.5— प्रकोष्ठ किसी शिकायत को खारिज कर सकता है, यदि

(i) शिकायत उपरोक्त बिन्दु संख्या-12:4 पर उल्लिखित समय-सीमा के अन्दर प्रेषित नहीं की गयी हो।

(ii) शिकायत कार्यवाही के लिए उचित कारण बताने में विफल रहता है जिसमें राहत दी जा सकती हो।

- (iii) शिकायतकर्ता को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुँची हो या हानि नहीं हुई हो या होने के संभावना न हो। अर्थात् शिकायतकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो या नहीं पड़ने की संभावना हो।
- 23.6—** यदि शिकायत खारिज नहीं हुई तो प्रकोष्ठ मामले की सुनवाई करेगा। प्रकोष्ठ परिवादी पक्ष (Complaining Party) एवं परिवाद (Complaint) में नामित व्यक्तियों/समूहों को सुनवाई के स्थान एवं समय की सूचना लिखित अथवा ई-मेल द्वारा देगा। सम्बन्धित पक्ष तब तक अधिसूचित नहीं माने जाएंगे जबतक कि उन्हें परिवाद की एक प्रति प्राप्त न हो जाय।
- 23.7—** सुनवाई यथाशीघ्र की जाएगी न कि उपरोक्त बिन्दु संख्या-12:4 पर उल्लिखित “शिकायत प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर”। उभयपक्षों की सहमति से 24 घण्टे वाली यह समय-सीमा शिथिल की जा सकती है।
- 23.8—** सुनवाई की सूचना निर्गत करते समय प्रकोष्ठ, बहुमत से, कोई अस्थायी प्रतिबन्धकारी/नियंत्रक आदेश पारित कर सकता है यदि वह निश्चित करता है कि ऐसी कार्रवाई किसी भी व्यक्ति अथवा सत्ता (Entity) पर पड़ने वाले अनुचित अथवा प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक है। ऐसा कोई भी अस्थायी आदेश एक बार पारित हो जाने पर तब तक प्रभावी रहेगा जबतक कि सुनवाई के पश्चात् प्रकोष्ठ अपना निर्णय न सुना दे या प्रकोष्ठ उसे निरस्त न कर दे।
- 23.9—** प्रकोष्ठ की सारी सुनवाई, कार्यवाही तथा बैठकें सभी के लिए खुली होंगी।
- 23.10—** प्रकोष्ठ की सुनवाई के दौरान सभी पक्ष उपस्थित रहेंगे। वे अपने साथ किसी अन्य छात्र-छात्रा को भी ला सकते हैं जिससे उन्हें सलाह मिल सकती हो, और अपनी बात उस सलाहकार के माध्यम से भी रख सकते हैं।
- 23.11—** किसी भी सुनवाई में प्रकोष्ठ के सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति अनिवार्य होगी और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- 23.12—** सुनवाई का प्रारूप प्रकोष्ठ तय करेगा। उभयपक्ष के लिए यह जरूरी होगा कि वह निर्णायक मण्डल के समक्ष सशरीर उपस्थित होकर लिखित परिवाद (Complaint),

प्रतिवाद (Reply), खण्डन (Rebuttal) एवं पुनरुत्तर (Rejoinder) के माध्यम से मुद्दों की अपनी-अपनी विवेचना प्रस्तुत करे। सुनवाई के दौरान प्रकोष्ठ कोई भी जिरह कर सकता है। सुनवाई का उद्देश्य निष्कर्ष निकालने एवं निर्णय/आदेश पारित करने के लिए सूचनाएं एवं तथ्य एकत्रित करना है ताकि सम्बन्धित विवाद का निपटारा किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी सुनवाईयों में निम्नलिखित नियम लागू रहेंगे :-

- (i) शिकायतकर्ता पक्ष को दो से अधिक गवाह पेश करने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु प्रकोष्ठ आवश्यकतानुसार जितने गवाह चाहे बुला सकता है। यदि सुनवाई के समय गवाह स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अपनी गवाही हस्ताक्षरित शपथ-पत्र के साथ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के समक्ष प्रेषित कर सकता है।
- (ii) उभयपक्ष के सभी प्रश्न एवं उनकी सारी विवेचनाएं प्रकोष्ठ को सम्बोधित होंगी।
- (iii) सुनवाई के दौरान उभयपक्ष एवं उनके गवाहों के बीच सीधी वार्ता अथवा जिरह नहीं होगी।
- (iv) प्रकोष्ठ द्वारा उचित समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है बशर्ते उभयपक्ष को न्यायोचित एवं समान अवसर मिले।
- (v) प्रमाण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पक्ष की होगी।
- (vi) प्रकोष्ठ का निर्णय, आदेश एवं व्यवस्था उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से पारित होगा और उसकी घोषणा सुनवाई की समाप्ति के बाद शीघ्रातिशीघ्र की जाएगी। निर्णय की घोषणा से 12 घण्टे के अन्दर प्रकोष्ठ पारित व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखित राय जारी करेगा जो उसके द्वारा पाये गये तथ्यों एवं उनके पक्ष में लिये गये विधिक निष्कर्षों को स्थापित करेगा। प्रकोष्ठ की यह लिखित व्यवस्था अगले तीन चुनावों तक नज़ीर बनकर प्रकोष्ठ की कार्यवाहियों में मार्गदर्शन करेगी। ऐसे निर्णय को प्रकोष्ठ सम्यक् विचारोपरान्त आगे की कार्यवाही में नकार भी सकता है किन्तु ऐसा करने के लिए उसे समुचित कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
- (vii) यदि प्रकोष्ठ के निर्णय के विरुद्ध कुलपति के समक्ष अपील की जाती है तो प्रकोष्ठ को अविलम्ब अपने पारित निर्णय/आदेश की एक प्रति कुलपति के विचारार्थ प्रेषित करना होगा।

- (viii) प्रकोष्ठ मामले की प्रकृति, गम्भीरता एवं उससे हुए व्यतिक्रमण तथा आरोपी/उल्लंघनकर्ता की सोच या नीयत का निर्धारण करते हुए तदनुसार समाधान के लिए यथोचित उपाय या दण्ड का चयन करेगा। संभावित उपाय या दण्ड के रूप में अर्थदण्ड, चुनाव प्रचार के अधिकार का निलम्बन/निषेध एवं चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करना हो सकता है। किन्तु ये दण्ड यहीं तक सीमित नहीं हो सकते।
- (ix) किसी भी उम्मीदवार पर लगाये गये अर्थदण्ड की कुल राशि चुनाव में उनके लिए अनुमन्य व्यय सीमा से अधिक नहीं हो सकती।
- (x) यदि सुनवाई के बाद प्रकोष्ठ यह पाता है कि किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव नियमावली के किसी भी प्रावधान/उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है तो वह उस उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता के प्रचार सम्बन्धी कुछ या सभी क्रिया-कलापों पर चुनाव प्रक्रिया की सम्पूर्ण अवधि अथवा शेष अवधि के लिए प्रतिबन्ध लगा सकता है। यदि ऐसा आदेश केवल शेष अवधि के एक अंश के लिए जारी होता है तो वह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ताकि आंशिक अवधि की समाप्ति पर उम्मीदवार को प्रचार कार्य पुनः शुरू करने का अवसर मिले जो उसे मतदान की तिथि सहित शेष अवधि के लिए प्राप्त होगा।
- (xi) यदि सुनवाई के बाद प्रकोष्ठ पाता है कि चुनाव नियमावली के प्रावधानों/उपबन्धों या प्रकोष्ठ के निर्णय/टिप्पणियों/आदेशों या दी गयी व्यवस्था का किसी उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता द्वारा जानबूझ कर और खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हुआ है या उनकी अवहेलना की गयी है तो प्रकोष्ठ उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है।
- (xii) प्रकोष्ठ के निर्णय से पीड़ित कोई भी पक्ष निर्णय की घोषणा के 24 घण्टे के अन्दर कुलपति के समक्ष अपनी अपील कर सकता है। ऐसे सभी मामलों में जिसमें प्रकोष्ठ की त्रुटि का आरोप हो, प्रकोष्ठ के निर्णय पर विचार करना एवं अन्तिम निर्णय करना कुलपति के विवेकाधीन अपीलीय क्षेत्राधिकार में होगा।
- (xiii) प्रकोष्ठ का निर्णय तब तक बहाल/पूरी तरह प्रभावी रहेगा जब तक कि कुलपति द्वारा अपील की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती एवं अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता।

- (xiv) कुलपति अपील की सुनवाई यथाशीघ्र करेंगे किन्तु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा प्रकोष्ठ द्वारा शिकायतकर्ता एवं कुलपति को सौंपे गये निर्णय की प्रति प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर हो। अपील पर इस अवधि के पहले भी सुनवाई हो सकती है यदि शिकायतकर्ता प्रकोष्ठ के निर्णय की लिखित प्रति की प्राप्ति के अपने अधिकार को त्याग दे और कुलपति इसपर सहमत हों।
- (xv) कुलपति प्रकोष्ठ द्वारा पारित आदेश को निलम्बित कर सकते हैं या उसके प्रभावी होने पर तब तक के लिए रोक लगा सकते हैं जब तक अपील पर अन्तिम निर्णय न ले लिया जाय।
- (xvi) अपील प्रेषित होने पर कुलपति प्रकोष्ठ के निष्कर्षों का पुनरावलोकन करेंगे। कुलपति को प्रकोष्ठ के निर्णय की पुष्टि करने का, उसे बदलने/उलटने का एवं लगाये गये दण्ड में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (xvii) अपील के सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

24. उम्मीदवारों के लिए आचार-संहिता (Code of Conduct for the Candidates) :

- 24.1— किसी भी उम्मीदवार के लिए जाति, सम्प्रदाय, धर्म, क्षेत्र एवं भाषा समूह के आधार पर छात्र-छात्राओं के बीच आपसी घृणा, वैमनस्य या तनाव पैदा करना अथवा तनाव प्रेरित करने वाली गतिविधियों में सम्मिलित होना सर्वथा वर्जित होगा।
- 24.2— अन्य उम्मीदवारों/प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना, उनकी नीतियों, कार्ययोजनाओं तथा पूर्व की ख्याति एवं कार्य के परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित होगी। अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलू जिसका सम्बन्ध उनके सार्वजनिक जीवन के क्रियाकलापों से न हो, की आलोचना से सभी उम्मीदवारों को परहेज करना होगा। असत्यापित या तोड़-मरोड़ कर लगाये गये आरोपों के आधार पर आलोचना से भी बचना होगा। किसी भी उम्मीदवार का चरित्र हनन करना वर्जित होगा।
- 24.3— मत प्राप्ति के लिए जातिगत या साम्प्रदायिक भावना उभाड़ने वाली अपील वर्जित होगी। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिसर के अन्दर या बाहर किसी भी पूजास्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग वर्जित होगा।
- 24.4— सभी उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार के कदाचारपूर्ण आचरण और अपराध में संलिप्तता वर्जित होगी। मतदाताओं को रिश्वत देना, धमकाना, अन्य मतदाता के बदले मतदान करना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार अथवा मतदाता सम्पर्क करना, मतदान समाप्ति के पूर्व के 30 घण्टे की अवधि में जनसभा करना, तथा मतदान

केन्द्र तक मतदाताओं को पहुँचाना या लाने-ले जाने के लिए वाहन की सुविधा प्रदान करना पूर्णतः वर्जित होगा।

- 24.5-** चुनाव प्रचार अथवा मतदाता सम्पर्क हेतु छपे हुए विज्ञापन, पर्चे या अन्य किसी भी प्रकार की मुद्रित प्रचार सामग्री का प्रयोग सभी उम्मीदवारों के लिए वर्जित होगा। केवल हस्तलिखित विज्ञापनों/प्रचार सामग्रियों के प्रयोग की अनुमति होगी, बशर्ते वे निर्धारित व्यय सीमा के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
- 24.6-** उम्मीदवार हस्तलिखित विज्ञापनों का प्रयोग/प्रदर्शन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में सम्बन्धित चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्व से चिन्हित/घोषित स्थान पर ही कर सकते हैं। संस्था के भवनों एवं उसकी चहारदीवारी के भीतरी एवं बाहरी सतहों पर प्रचार के लिए कुछ भी लिखना/चिपकाना वर्जित होगा।
- 24.7-** उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय/सम्बन्धित महाविद्यालय परिसर से बाहर जुलूस निकालना, सभा आयोजित करना, प्रचार करना या प्रचार सामग्री का वितरण करना सर्वथा वर्जित होगा।
- 24.8-** किसी अन्य संस्था/एजेन्सी के लगाये गये विज्ञापनपट्ट को मत प्राप्ति के लिए न तो रंगा जायेगा और न उसपर कुछ लिखा जायेगा।
- 24.9-** कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को विरूपित अथवा नष्ट नहीं करेगा और न ही सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उनका उपयोग करेगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने की दशा में सभी उम्मीदवार अलग-अलग और संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था के अधिकारी निर्णय/कार्यवाही करेंगे।
- 24.10-** उम्मीदवारों के लिए पठन-पाठन के बीच कक्षा में घुसकर प्रचार/मतदाता सम्पर्क करना या कक्षा की शान्ति भंग करना सर्वथा वर्जित होगा। कक्षा विसर्जित होने के बाद अथवा मध्यावकाश में जब कक्षाएँ न हों प्रचार/मतदाता सम्पर्क किया जा सकता है।
- 24.11-** चुनाव की अवधि में उम्मीदवार जुलूस और/अथवा जनसभा आयोजित कर सकते हैं बशर्ते कक्षाएँ, अन्य शैक्षिक कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित क्रिया-कलाप किसी भी रूप में बाधित न हो। साथ ही ऐसे आयोजन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही किये जा सकते हैं। ऐसे जुलूस अथवा जनसभा में वाह्य व्यक्तियों का प्रवेश या उनकी भागीदारी वर्जित होगी।
- 24.12-** पूरी चुनाव अवधि में किसी भी उम्मीदवार को केवल एक बार ही जुलूस निकालने अथवा जनसभा करने की अनुमति होगी। ऐसी जनसभा में उम्मीदवार को अपनी

योग्यता प्रदर्शित करने के लिए भाषण देने का केवल एक अवसर दिया जायेगा और ऐसा सम्बन्धित चुनाव अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही होगा। इसके लिए समय-सीमा सम्बन्धित चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

24.13- चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाद्ययंत्रों, वाहनों एवं पशुओं का प्रयोग सर्वथा वर्जित होगा।

24.14- पुरुष प्रत्याशियों या उनके समर्थकों के लिए महिला छात्रावास में चुनाव प्रचार/मतदाता सम्पर्क के लिए प्रवेश वर्जित होगा।

24.15- चुनाव की अवधि में उम्मीदवार या उनके समर्थकों के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का हथियार/अग्नेयास्त्र लाना या उसका प्रयोग करना सर्वथा वर्जित होगा। इस नियम का उल्लंघनकर्ता सख्त दण्डात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

24.16- मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार –

(i) चुनाव अधिकारी के साथ सहयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव शान्तिपूर्वक एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो तथा मतदाता बिना किसी क्षोभ या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी स्वतंत्रता के साथ करें।

(ii) पेयजल के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ, ठोस या तरल, पेश/वितरित नहीं करेंगे।

(iii) कोई प्रचार सामग्री वितरित नहीं करेंगे।

24.17- मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय चुनाव अधिकारी द्वारा निर्गत पास/अधिकार-पत्र के बिना मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा।

24.18- कुलपति द्वारा आवश्यकतानुसार नियुक्त निष्पक्ष पर्यवेक्षक चुनाव पर नजर रखेंगे। चुनाव सम्पादन से सम्बन्धित यदि कोई शिकायत/समस्या हो तो कोई भी उम्मीदवार उसे पर्यवेक्षक के संज्ञान में ला सकता है।

24.19- आचार-संहिता का पालन करना सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, मतदाताओं एवं साधारण सदस्यों के लिए अनिवार्य होगा।

24.20- सभी उम्मीदवारों को इस आशय का एक शपथ-पत्र अपने नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा कि उन्होंने छात्र-संघ चुनाव आचार-संहिता को पूरी तरह से पढ़-समझ लिया है तथा वे उसका पालन करने का वचन देते हैं और यदि किसी प्रकार से

आचार-संहिता का उल्लंघन होता है तो उन्हें चुनाव से वंचित/बहिष्कृत कर दिया जाय।

- 24.21-** उपरोक्त किसी भी नियम का उल्लंघन होने की दशा में सम्बन्धित उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है अथवा किसी भी पद पर हुआ उनका निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पदाधिकारी उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।
- 24.22-** उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त स्थान, समय एवं परिस्थिति के अनुरूप सम्बन्धित चुनाव अधिकारी द्वारा प्रतिपादित नियमों/निर्देशों का पालन करना भी सभी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों/मतदाताओं के लिए अनिवार्य होगा।
- 24.23-** उपरोक्त आचार-संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड विधान, 1860 के कतिपय प्रावधानों (धारा-153-A तथा अध्याय-IX-A-"चुनाव सम्बन्धी अपराध") का प्रयोग भी छात्र-संघ चुनाव में किया जा सकता है।

नोट- छात्रसंघ नियमावली के संदर्भ में किसी भी संशय की स्थिति में लिंगदोह समिति के प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।